सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

Ph.No. 0151 - 2543419 (O),
2549348 (Fax)
2240380 (Res.)
09414138211 (M)
Email: vcrajuvas@gmail.com

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Prof. A.K. Gahlot
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या *53/2014*

श्री दिव्य भड़िया .....अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर ..... उत्तरदाता

उपस्थितिः–

(1) अपीलार्थी– श्री जय सिंह – (प्रतिनिधि)

(2) उत्तरदाता–श्री वाई.के. सिंह, कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर। (उपस्थित)

दिनांक 07.07.2014

निर्णय

अपीलार्थी दिव्य भड़िया ने कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को प्रार्थना पत्र दिनांक 02.05.2014 प्रेषित कर सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने का निवेदन किया। कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर ने पत्र क्रमांक एफ. (438) राजूवास/रजि./आर.टी.आई./2014/198 दिनांक 27.05.2014 से अपीलार्थी को रजिस्टर्ड पत्र से प्रत्युत्तर प्रेषित कर अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.05.2014 का निस्तारण किया गया।

अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	वांछित सूचना	प्रत्युत्तर/सूचना
	1. सत्र 2008 में अन्य राज्यों से उतीर्ण कितने अभ्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। प्रवेशार्थियों का enrolement No, प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, मेरिट क्रमांक, बोर्ड का नाम व उतीर्ण वर्ष व प्राप्तांक तथा किस संस्था में प्रवेश दिया गया। सूचना भेजने का श्रम करें। 2. ऊपर लिखे अनुसार सत्र 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 में राजस्थान से	आपके प्रांसगिक प्रार्थना पत्र के बिन्दु 1 व 2 के क्रम में लेख है कि विश्वविद्यालय द्वारा पशुधन सहायक डिप्लोमा के लिए ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर ऑनलाईन कांउसलिंग की जाती है तथा पशुधन सहायक डिप्लोमा में कुल सीटों में से 85 प्रतिशत प्रवेश स्टेट सीट से व 15 प्रतिशत प्रवेश मेनेजमेंट सीटों से लिया जाता है व स्टेट सीट से प्रवेश लेने वाले अभ्यार्थियों के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक होता है जबकि मैनेजमेंट सीट पर प्रवेश संस्थानों में अपने स्तर पर लिया जाता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थान की होती है तथा उक्त सभी अभ्यार्थियों के सभी मूल दस्तावेज परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में नामांकन के समय मंगवाये जाते है तथा उसके सभी दस्तावेजों की जॉच करवाई जाती है व संशय होने पर उसके बोर्ड की मान्यता के संबंध में COBSE से सत्यापन भी करवाया जाता है तथा नामांकन व सम्पूर्ण जांच के पश्चात् उक्त सभी अभ्यार्थियों के मूल दस्तावेज पुनः सम्बन्धित संस्थान को

	बाहर (अन्य राज्यों) से 12 वीं उतीर्ण कितने अभ्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। बिन्दु 1 के अनुसार सत्रवार सूचना भिजवाने का श्रम करें।	भिजवा दिये जाते है उनका सिर्फ नामांकन का रिकॉर्ड ही विश्वविद्यालय में रखा जाता है, नामांकन सम्बधी रजिस्टर में निम्न बिन्दूओं के संबंध में ही सूचनाएं संधारित की जाती है। (1) क्र.सं. (2) एनरोलमेंट सं. (3) प्रवेश का प्रकार (मेनेजमेंट/स्टेट) (4) अभ्यर्थी का नाम (5) पिता का नाम (6) माता का नाम (7) जन्म दिनांक (8) लिंग (9) श्रेणी (10) नामांकन दिनांक। अतः प्रवेश दिए गए छात्र द्वारा किस संस्थान अथवा किस राज्य से शिक्षा प्राप्त की गयी है इस संबंध .में विश्वविद्यालय अभिलेखों मे सूचना संधारित नहीं की जाती तथा संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रेषित दस्तावेजात की संख्या बड़ी मात्रा में होने के कारण वांछित सूचना की छंटनी किया जाना अत्यधिक दुष्कर कार्य है जिसमें अत्यधिक समय व श्रम खर्च होने की संभावना है तथा विश्वविद्यालय में संसाधन सीमित है तथा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्य समयबद्ध होते है जिन्हे कि पूर्व निर्धारित तय समय/दिनांक तक पूर्ण किया जाना आवश्यक होता है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर दिनांक 27.05.2014 से अंसतुष्ट होकर अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसे कि नियमित सुनवाई हेतु दर्ज रजिस्टर किया गया। नोटिस दिनांक 18.06.2014 से अपीलार्थी को सुनवाई दिनांक 07.07.2014 को व्यक्तिशः उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया। सुनवाई दिवस पर लोक सूचना अधिकारी श्री वाई.के. सिंह उपस्थित हुए तथा अपीलार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ अपीलार्थी की ओर से उसके पिता श्री जयसिंह उपस्थित हुए। श्री वाई.के. सिंह लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह आपत्ति की गयी कि नोटिस दिनांक 18.06.2014 में अपीलार्थी स्वयं को ही उपस्थित होने के निर्देश थे अपीलार्थी के स्थान पर प्रतिनिधि को सुनवाई में भिजवाने का कोई विकल्प नहीं दिया गया था तथा न ही स्वयं अपीलार्थी ने लिखित में प्रतिनिधि को उपस्थित होने की अनुमति देने का प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष कोई निवेदन किया, अतः अपीलार्थी के पिता श्री जयसिंह को नहीं सुना जा सकता। श्री जयसिंह द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी उसका पुत्र हैं तथा अपने पुत्र का प्रतिनिधित्व करने का उसे पूरा अधिकार है। अपीलार्थी के पिता द्वारा इस संबंध में कोई कानूनी प्रावधान नहीं बताया गया।

इस संबंध में सूचना का अधिकार नियम–2012 के नियम 12 के उपनियम (2) अनुसार अपीलार्थी को व्यक्तिगत रूप से या सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने का अधिकार है। यद्यपि श्री जयसिह ने अपीलार्थी द्वारा उन्हे बतौर प्रतिनिधि के सुनवाई में उपस्थित होने हेतु प्राधिकृत किए जाने संबंधी कोई लिखित दस्तावेज मेरे समक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया अतः स्वीकृत स्थिति हैं कि श्री जयसिंह को अपीलार्थी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत नहीं किया गया लेकिन चूंकि श्री जयसिंह काफी दूरी से केवल सुनवाई के लिए ही उपस्थित हुए तथा अपीलार्थी भी छात्र है इसके साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम की मूल भावना को दृष्टिगत रखते हुए नियम 12 के प्रावधानों के परीप्रेक्ष्य में अपीलार्थी की ओर से उसके पिता श्री जय सिंह को बतौर प्रतिनिधि उपस्थित होने की अनुमति दी गयी।

दौरान बहस श्री जय सिंह द्वारा यह कथन किया गया कि सभी जगह ऐसी सूचनाऐ देते है तथा उन्हे सूचना प्राप्त करने का पूरा अधिकार है तथा वो सूचना लेकर ही छोड़ेगें।

जिन सूचनाओं की मांग की गयी है वह विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध है तथा उसके पुत्र को जानबूझ कर सूचना नही दी जा रही हैं। श्री जय सिंह द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सरकार द्वारा की जा रही भर्ती में अभ्यर्थी दूसरे राज्य की सीनियर हायर सेकेण्डरी की अंकतालिका लगाते है तथा A.H.D.P. डिग्री में प्रवेश के समय राजस्थान बोर्ड की डिग्री लगाते है इस प्रकार पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन सहायक की भर्ती में फरजीवाड़ा हो रहा है अपील स्वीकार कर सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। इसके विपरीत श्री वाई.के. सिंह लोक सूचना अधिकारी ने निम्न तर्क प्रस्तुत किए :–

(1) अपीलार्थी दिव्य भड़िया को दिनांक 27.05.2014 को प्रेषित प्रत्युत्तर स्वयंमेव स्पष्ट (Speaking) है अतः अपीलार्थी के पक्ष में अपील करने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता अतः अपील खारिज की जावे।

(2) अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के क्रम में अपीलार्थी को स्पष्टतः अवगत करवा दिया गया था कि विश्वविद्यालय अभिलेखों में छात्रों के संबंध में किन–किन बिन्दुओं की सूचना रखी जाती है प्रवेश दिए गए छात्र द्वारा किस संस्थान अथवा किस राज्य से शिक्षा प्राप्त की गयी है इसके बारे में कोई सूचना अभिलेखों में संधारित नहीं की जाती तथा यदि सूचना अभिलेखों में संधारित नहीं हो तो नए सिरे से सूचना सृजित करने हेतु पी.आई.ओ. उत्तरदायी नहीं है अतः अपील खारिज की जाने योग्य है।

(3) अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित प्रारूप में सूचना चाही गयी है तथा विश्वविद्यालय अभिलेखों में अपीलार्थी द्वारा वर्णित प्रारूप में अभिलेखों मे सूचना संधारित नहीं की जाती है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित किए गए प्रारूप में सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लोक सूचना अधिकारी बाध्य नहीं है।

(4) विश्वविद्यालय में वर्तमान में निजी/सरकारी/संघटक सभी मिलाकर 60 AHDP संस्थानों के संबंध में अभिलेख संधारित किए जाते है। अपीलार्थी द्वारा पॉच वर्ष की अवधि की सूचना चाही गयी है 60 महाविद्यालयों के छात्रों में से राज्य से बाहर से डिग्री प्राप्त छात्रों के संबंध में विगत पांच वर्ष का वांछित रिकॉर्ड छांटा जाकर वांछित सूचना तैयार करना काफी दुष्कर कार्य है क्योंकि विश्वविद्यालय में सीमित संसाधन है। अतः अपीलार्थी को अभिलेखों में संधारित सूचना के अलावा सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है।

(5) अपीलार्थी को इन दस्तावेज के अवलोकन की अनुमति भी दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि शैक्षिक दस्तावेज संबंधित अभ्यर्थी के निजी दस्तावेज होते है अतः बिना संबधित अभ्यर्थी की सहमति के तथा बिना व्यापक एवं सद्भाविक जनहित के तृतीय पक्ष के व्यक्तिगत श्रेणी के दस्तावेजों का अवलोकन नहीं करवाया जा सकता। व्यावहारिक दृष्टि से इतनी बड़ी संख्या में संबधित अभ्यर्थिण को सहमति/असहमति प्रकट करने हेतु नोटिस दिया जाना भी दुष्कर कार्य होगा। अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

(6) अपील में सुनवाई हेतु निर्धारित दिनांक से पूर्व व्यावहारिक निस्तारण की दृष्टि से मैनें स्वयं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय जाकर शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अभिलेखों को

संधारण किए जाने की व्यवस्था को जानने की कोशिश की जिसमें यह पाया कि संबंधित शिक्षण संस्थान से प्राप्त छात्र–छात्राओं के दस्तावेजो का जैसे–जैसे सत्यापन होता जाता है उन्हे बंच में एक साथ रख दिया जाता है। शिक्षण संस्थानों से प्राप्त छात्रों के दस्तावेजो को वर्षवार अथवा शिक्षण संस्थानवार पृथक–पृथक नहीं संधारित किया जाता इस कारण वांछित सूचना के बारे में दस्तावेजों में से छंटनी किया जाना बेहद दुष्कर बल्कि नामुमकिन कार्य है तथा ऐसे दस्तावेज सूचीबद्ध करके रखे जाना आवश्यक भी नहीं है क्योंकि इस प्रकार की सूचना की विश्वविद्यालय को आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः वांछित सूचना उपलब्ध करवायी जानी संभव नहीं है इस कारण भी अपील बलहीन है।

मैनें उभय पक्षों द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को का तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर दिनांक 27.05.2014 का गहनता से अवलोकन किया। हस्तगत अपील में अपीलार्थी पशुधन सहायक डिप्लोमा में राज्य से बाहर के बोर्ड से उतीर्ण अभ्यर्थीयों के संबंध में विभिन्न बिन्दूओ पर वर्ष 2008 से 2013 की अवधि की सूचना प्राप्त करना चाहता है, इस हेतु प्रार्थना दिनांक 21.05.2014 में प्रारूप भी वर्णित किया गया है। इस संबंध में कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर दिनांक 27.05.2014 के अवलोकन किया जाने से यह स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित प्रत्युत्तर पूर्णतया Speaking है तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को स्पष्टतः सूचित कर दिया गया था कि छात्रों के मेरिट क्रमांक, बोर्ड का नाम, प्राप्तांक किस संस्था में प्रवेश दिया इसकी सूचना अभिलेखों में संधारित ही नही की जाती तथा विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रणाली के अनुसार ऐसी सूचना संधारित करने का कोई प्रावधान भी नहीं है। माननीय आयोग द्वारा भी विभिन्न निर्णयों पारित निर्णय से यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि लोक सूचना अधिकारी स्वयं के नियंत्रणाधीन अभिलेखों में संधारित सूचना ही उपलब्ध करवाने हेतु उत्तरदायी है। सूचना सृजित करने हेतु लोक सूचना अधिकारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता अतः मेरे मत में प्रार्थना पत्र दिनांक 02.05.2014 के बिन्दु 1 व 2 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर पूर्णतः विधि सम्मत है। अतः अपीलार्थी को सूचना नहीं उपलब्ध करवाकर लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि कारित नही की गयी है।

जंहा तक अपील में अपीलार्थी द्वारा दिए गए इस कथन कि "यह सूचना सार्वजनिक है प्रार्थी को वर्ष 2008 से 2013 तक के फार्म जो सत्रवार भरे जाते हैं यह सूचना परीक्षा फार्म में उपलब्ध करवा सकते है। अगर विश्वविद्यालय इस सूचना की छंटनी नहीं कर सकता है तो प्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर सत्रवार परीक्षा फार्म से सूचना प्राप्त कर अपने स्तर पर फोटो प्रति करवा लेगा।"

इस संबंध में मेरे मत मे लोक सूचना अधिकारी द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्क सही है क्योकि जो अभिलेख संधारित किए जा रहे है उसमें संबधित बोर्ड, राज्य, मेरिट क्रमांक के संबध में सूचना संधारित नही की जाती। छात्रों के संबंध में शिक्षण संस्थानों से प्राप्त दस्तावेजों को बिना छंटनी किए बंच (Bunch) स्वरूप में रखे जाते है तथा संस्थानों की संख्या 60 है तथा अपीलार्थी द्वारा विगत पॉच वर्ष की सूचना चाही है अतः प्रति संस्थान के

प्रति अभ्यर्थी के हिसाब से बड़ी मात्रा में दस्तावेज देखे जाने पड़ेगें जो विश्वविद्यालय में उपलब्ध संसाधन सीमित होने के कारण व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं क्योंकि यह सूचना विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक विभाग से संबधित है जहां कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों अनुसार तय समय पर कार्य किया जाना आवश्यक होता है। अपीलार्थी ने अपील में स्वयं को इन दस्तावेजों के अवलोकन की अनुमति दिए जाने का निवेदन किया गया है ताकि छंटनीं कर संबधित दस्तावेज की फोटो प्रति करवा सके। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें दस्तावेजों के निरीक्षण की कोई मांग नहीं की गयी है तथा न ही श्री जयसिंह द्वारा यह प्रकट किया गया कि उनके पुत्र द्वारा इन दस्तावेजों के अवलोकन हेतु लोक सूचना अधिकारी के समक्ष निवेदन किया गया था तथा प्रथम अपील अधिकरी दस्तावेजो के निरीक्षण की अनुमति दिए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी नहीं है जब तक कि इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया गया हो। इसके अलावा चूंकि अपीलार्थी ने अपील में यह मांग की गयी है तो इस पर गुणावगुण के आधार पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी ने जो सूचना चाही है वह संबधित अभ्यर्थी के शैक्षिक दस्तावेजो से ही प्राप्त हो सकती है जो अपीलार्थी के अलावा तृतीय पक्ष के निजी दस्तावेज है जिनका कि संबधित अभ्यर्थी अर्थात् तृतीय पक्ष की सहमति बिना अपीलार्थी को अवलोकन नहीं करवाया जा सकता। 60 शिक्षण संस्थानों के सभी संबंधित छात्रों को सहमति/असहमति हेतु नोटिस दिया जाना व्यवहारिक दृष्टि से भी संभव नही है क्योंकि इससे पूर्व छात्रों को वर्षवार व संस्थावार सूचीबद्ध भी करना होगा। ऐसा लोक सूचना अधिकारी ने भी दौरान बहस प्रकट किया है अतः गुणावगुण के आधार पर दस्तावेजो के निरीक्षण की मांग स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पायी जाती। जहां तक भर्ती प्रक्रिया में तथाकथित फरजीवाड़ा किए जाने का संबंध है इस हेतु अपीलार्थी को समक्ष स्तर पर कार्यवाही करनी चाहिए प्रथम अपील अधिकारी इस हेतु सक्षम प्राधिकारी नहीं है।

अतः अपीलार्थी द्वारा दायर अपील बलहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ए.के. गहलोत)
कुलपति एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
राजूवास, बीकानेर

Registrar
Rajasthan University of Veterinary
Animal Sciences, Bikaner